कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1603 / 12-1 : देहरादूनः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.383 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145620/2021)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की कार्यवृत्त संख्या– IRO-DDN/FRCM/01/2022/1164, दिनांक 30.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–722 / 12–1 दिनांक 26.10.24 **(प्रति संलग्न)** के साथ प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्र संख्या–1662 / 12–1 दिनांक 18.10.2024 **(प्रति संलग्न)** जिसके माध्यम से विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा दिनांक 25.11.2022 को सम्मपन हुई FRCM की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सूचना / आख्या इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.सं.	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	निराकरण
1	After detailed discussion, it was decided that the State Government may direct the user agency and local forest officials, jointly to reassess and explore the possibility of connectiong the village by means of alternate alignment avoiding forest or through less dense forest.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली ने अपने पत्र संख्या–1205 / 36सी0 दिनांक 05.8.2024 एवं पत्र संख्या–743 / 36सी0 (प्रतियां संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक संरेखण का चयन कर उसमें आ रहे वृक्षों की गिनती वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ के साथ की गयी, जिसमें कुल 117 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, परन्तु इस नये संरेखण में 400 मी0 लम्बाई नाप भूमि अधिक होने से ग्रामीण एवं भू–स्वामियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिया जा रहा है। ग्रामवासियों की कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण अपनी नाप भूमि देने से मना किया जा रहा है, तथा द्वितीय संरेखण में मार्ग की लम्बाई लागत बढ़ रही है एवं मार्ग की लम्बाई अधिक होने से अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है, केवल वृक्ष कम आ रहे हैं। विषयांकित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखण पर वृक्षों की गणना कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव **(FP/UK/ROAD/145620/2021)** गठित किया गया था, जिसमें उपरोक्त वैकल्पिक संरेखण की तुलना

o/c

		में 142 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। उक्त संरेखण में ज्यादा वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, किन्तु मार्ग की लम्बाई/लागत कम आने के साथ ही कम वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। मार्ग में प्रथम संरेखण में पड़ने वाली भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रथम संरेखण (प्रस्तावित संरेखण) में नाप भूमि की अनापत्ति ग्रामीणों द्वारा दी गयी है (संलग्न–1)। प्रथम संरेखण भूगर्भीय दृष्टि से भू–वैज्ञानिक द्वारा उपयुक्त पाया गया है, तथा उनके द्वारा अपने पत्र संख्या–1205/36सी0 दिनांक 05.8.2024 से द्वितीय संरेखण (वैकल्पिक संरेखण) से सम्बन्धित संरेखण का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया गया है (संलग्न), तथा वैकल्पिक संरेखण की के0एम0एल0 फाईल जिसमें प्रभावित वन भूमि दर्शित कर दिया गया है। के0एम0एल0 फाईल को पार्ट–1 के यथास्थान अपलोड किया जा चुका है। ग्रामवासियों द्वारा प्रथम संरेखण प्रस्तावित संरेखण जिस हेतु पूर्व में गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/145620/2021) बनाया गया है। उस संरेखण पर ही सहमति दी गयी है, तथा प्रस्तावित संरेखण से मोटर मार्ग एक लिंक रोड़ के रूप में कार्य करेगा। उक्त मार्ग परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जायेंगे, जिसमें ग्रम आलयू के साथ–साथ ग्राम डुंग्री, रेगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों भी को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 1603 / 12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, थराली।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 722 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर 26/ ,2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय– **जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग हेतु 1.383 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वन किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/145620/2021

सन्दर्भ– आपकी पत्र सं0– पत्र सं0 1383 / 1जी–5095 दिनांक 06.12.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1662 / 12–1 दिनॉक 18.10.2024 से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा एफ0आर0सी0एम0 बैठक दिनांक 25.11.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार सूचना निम्नप्रकार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है–

भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	आख्या
After detailed discussion, it was decided that the State Government may direct the user agency and local forest officials, jointly to reasess and explore the possibility of connecting the village by means of alternate alignment avoiding forest or through less dense forest. कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून पंजी0 सं0 1800 पत्रावली 121 दिनांक 16-12-24 प्रभारी चमोली आ.का.के. प्र0व0सं0/नो0 13-12-24	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1662 / 12–1 दिनॉक 18.10.2024 से अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं0 पत्र सं0 1205 / 36सी0 दिनांक 05.08.2024 एवं 734 / 36सी0 दिनांक 22.05.2024 से अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक संरेखण का चयन कर उसमें आ रहे वृक्षो की गिनती वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ के साथ की गयी जिसमें कुल 117 वृक्ष प्रभावित हो रहे है परन्तु इस नये संरेखण में 400मी0 लम्बाई नाप भूमि अधिक होने से ग्रामीण एवं भू–स्वामियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा है ग्रामवासियो की कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण अपनी नाप भूमि देने से मना किया जा रहा है, तथा द्वितीय संरेखण में मार्ग की लम्बाई लागत बढ़ रही है एवं मार्ग की लम्बाई अधिक होने से अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है, केवल वृक्ष कम आ रहे है। विषयांकित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखण पर वृक्षो की गणना कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road / 145620 / 2021) गठित किया गया था, जिसमें उपरोक्त वैकल्पिक संरेखण की तुलना में 142 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। उक्त संरेखण में ज्यादा वृक्ष प्रभावित हो रहे है, किन्तु मार्ग की लम्बाई / लागत कम आने के साथ ही कम वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। मार्ग में प्रथम संरेखण में पड़ने वाली भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रथम संरेखण(प्रस्तावित संरेखण) में नाप भूमि की अनापत्ति ग्रामीणो द्वारा दी गयी है(संलग्न–1)। प्रथम संरेखण भूगर्भीय दृष्टि से भू–वैज्ञानिक द्वारा उपयुक्त पाया गया है, तथा उनके द्वारा अपने सं0 1205 / 36सी0 दिनांक 05.08.2024 से द्वितीय संरेखण (वैकल्पिक

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

	संरेखण) से सम्बन्धित संरेखण का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया गया है (संलग्न–2)। तथा वैकल्पिक संरेखण की के0एम0एल0 फाईल जिसमें प्रभावित वन भूमि दर्शित कर दिया गया है। के0एम0एल0 फाईल को पार्ट । के यथास्थान अपलोड किया जा चुका है। ग्राम वासियो द्वारा प्रथम संरेखण प्रस्तावित संरेखण जिस हेतु पूर्व में गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road / 145620 / 2021) बनाया गया है उस संरेखण पर ही सहमति दी गयी है, तथा प्रस्तावित संरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण से यह मार्ग एक लिंक रोड़ के रूप में कार्य करेगा उक्त मार्ग परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जायेगें, जिससे ग्राम आलयू के साथ–साथ ग्राम डुंग्री, रेगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 722 / 12-1 दिनॉक

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1662 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, अक्टूबर 18 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः— **जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग हेतु 1.383है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः— **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1383/1जी—5095 दिनांक 06.12.2022.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के साथ संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा दिनांक 25.11.2022 के बैठक के कार्यवृत्त में विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं0 1205/36सी0 दिनांक 05.08.2024 से आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैः—

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा एफ0आर0सी0एम0 बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्यवृत्त में चाही सूचना	**आख्या**
After detailed discussion, it was decided that the State Government may direct the user agency and local forest officials, jointly to reasess and explore the possibility of connecting the village by means of alternate alignment avoiding forest or through less dense forest.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं0 पत्र सं0 1205/36सी0 दिनांक 05.08.2024 एवं 734/36सी0 दिनांक 22.05.2024 से अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक संरेखण का चयन कर उसमें आ रहे वृक्षो की गिनती वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ के साथ की गयी जिसमें कुल 117 वृक्ष प्रभावित हो रहे है परन्तु इस नये संरेखण में 400मी0 लम्बाई नाप भूमि अधिक होने से ग्रामीण एवं भू—स्वामियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा है ग्रामवासियो की कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण अपनी नाप भूमि देने से मना किया जा रहा है, तथा द्वितीय संरेखण में मार्ग की लम्बाई लागत बढ़ रही है एवं मार्ग की लम्बाई अधिक होने से अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है, केवल वृक्ष कम आ रहे है। विषयांकित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखण पर वृक्षो की गणना कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/145620/2021) गठित किया गया था, जिसमें उपरोक्त वैकल्पिक संरेखण की तुलना में 142 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। उक्त संरेखण में ज्यादा वृक्ष प्रभावित हो रहे है, किन्तु मार्ग की

	प्रभावित हो रही है। मार्ग में प्रथम संरेखण में पड़ने वाली भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रथम संरेखण(प्रस्तावित संरेखण) में नाप भूमि की अनापत्ति ग्रामीणो द्वारा दी गयी है(संलग्न–1)। प्रथम संरेखण भूगर्भीय दृष्टि से भू–वैज्ञानिक द्वारा उपयुक्त पाया गया है, तथा उनके द्वारा अपने सं0 1205/36सी0 दिनांक 05.08.2024 से द्वितीय संरेखण (वैकल्पिक संरेखण) से सम्बन्धित संरेखण का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया गया है (संलग्न–2)। तथा वैकल्पिक संरेखण की के0एम0एल0 फाईल जिसमें प्रभावित वन भूमि दर्शित कर दिया गया है। के0एम0एल0 फाईल को पार्ट । के यथास्थान अपलोड किया जा चुका है। ग्राम वासियो द्वारा प्रथम संरेखण प्रस्तावित संरेखण जिस हेतु पूर्व में गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/145620/2021) बनाया गया है उस संरेखण पर ही सहमति दी गयी है, तथा प्रस्तावित संरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण से यह मार्ग एक लिंक रोड़ के रूप में कार्य करेगा उक्त मार्ग परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जायेगें, जिससे ग्राम आलयू के साथ–साथ ग्राम डुंग्री, रेगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
प्राप्ति स0 2779
पत्रांक संख्या 12-1
दिनांक 22/10/24
पत्र किसको 9. म्. E.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता महोदय,
लोक निर्माण विभाग
थराली चमोली गढ़वाल

संलग्नक-01

पत्रांक: 6/2024

JUN 2024

विषय: जिला प्लान योजना चमोली से स्वीकृत नई लिंक मोटर सड़क निर्माण कार्य 2 कि०मी० ग्राम डुंग्री के अंतर्गत अलियो से चालियापानी तक शीघ्र [illegible] के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2015-2016 में ग्राम पंचायत डुंग्री विकासखण्ड नारायणबगड़ तहसील थराली जिला चमोली में जिला प्लान योजना 2कि०मीटर नई लिंक रोड का सर्वे अलियो से चालियापानी स्वीकृत हुआ था पर फायल भारत सरकार से बिन्दु 1 और बिन्दु 2 आपत्ति के साथ संशोधन हेतु भेजा गया था जिसकी प्रतिलिपि पत्र सं 8 बी (भूस्खलन) 06/137/2021/एफ०सी०/463 दिनांक 30/6/2022 संलग्न है। आपत्ति में मार्ग को घने वन क्षेत्र से प्रस्तावित किया गया है जबकि मार्ग को वृक्ष विहीन अथवा विरले क्षेत्र से भी प्रस्तावित किया जा सकता है।

महोदय, इस संदर्भ में लोक निर्माण थराली के माध्यम से दुबारा सर्वे किया जिसमें वन अधिकारी [illegible] तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी व ग्राम प्रधान ग्राम डुंग्री सम्मिलित रहे। जिसमें यह पाया गया कि अन्य क्षेत्र से सर्वे द्वारा मार्ग की दूरी अधिक व ज्यादातर जगह पर स्लाइड का [illegible] पड़ रहा है जोकि आर्थिक स्थिति के आधार पर मोटर मार्ग [illegible] नहीं पाया गया है। भविष्य में स्लाइड के कारण रोड भी हमेशा अवरुद्ध रहने की स्थिति में रहेगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये पुराने सर्वे को फिर से उचित समझा गया है।

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि इस क्षेत्र के 75% सेना में कार्यरत हैं वर्तमान समय में देश के अग्रिम सीमा में सेवारत हैं। सैनिकों के परिवारों गांव में सड़क सुविधा न होने के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा गांव के वृद्ध, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को बिमारी स्थिति में इलाज हेतु समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में हादसे का शिकार हो जाते हैं। यह प्रकरण 2015-2016 से लम्बित है और जनता में सड़क की सुविधा न होने के कारण अत्यन्त आक्रोश है।

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि सड़क की सुविधा न होने के कारण सन 2015-2016 से आजतक, 5 परिवार, [illegible] गाँव से देहरादून, [illegible] तथा [illegible] में जा चुके हैं।

ग्राम प्रधान ग्राम डुंग्री द्वारा यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए आलियों से चौसियापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु जल्दी से जल्दी बनाया जाय।

अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है ग्राम पंचायत डुंग्री विकासखण्ड नारायणबगड़ तहसील थराली जिला चमोली में जिला प्लान योजना 2 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण, पुरानी सर्वे जो पहले की गयी थी और भारत सरकार द्वारा गहन अध्ययन हेतु आपके पास भेजा गया है उस पर गहन अध्ययन के बाद उसको फिर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

ग्राम वासियों द्वारा NOC भी इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

धन्यवाद।

भवदीप,

ग्रामप्रधान
एवं समस्त ग्रामवासी
आलियों (डुंग्री)
तहसील - थराली नारायणबगड़
चमोली गढ़वाल

हस्ताक्षर ग्रामवासी आलियों (डुंग्री)

1 जयसिंह — Jai Singh
2. जीतासिंह — [signature]
3 जीवेन्द्रसिंह — [signature]
4. बिरेन्द्रसिंह — B Singh
5. भगपालसिंह नेगी [signature]
6. देवसिंह नेगी [signature]
7. अवतारसिंह नेगी — [signature]
8 गोपालसिंह नेगी [signature]
9. गब्बरसिंह नेगी — Gabbar Singh
10. आवाती नेगी — [signature]

प्रधान ग्राम पंचायत डुंग्री
हस्ताक्षर [signature]
दिनांक ....
वि०ख०— नारायणबगड़ (चमोली)

संलग्नक-02

"विवरण"

कार्य का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (संरेखण।)

क्र0 स0	विवरण	संरेखण नं0 1	संरेखण नं0 2
1	मुख्य विशेषतायें	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग मे वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है।मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी एवं पर्यटन में वृद्धि होगी ।	मार्ग कच्चे भागों से गुजरता है तथा मार्ग मे वन सम्पदा अत्यधिक मात्रा में है।मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी एवं पर्यटन में वृद्धि होगी ।
2	मार्ग की लम्बाई	2.000 कि0 मी0	2.400 कि0मी0
3	वर्तमान यतायात का साधन	पैदल मार्ग / खच्चर / घोडा	पैदल मार्ग / खच्चर / घोडा
4	भूमि		
	(अ) कृषि योग्य भूमि	300.00 मी0	741.00 मी0
	(ब) ग्राम पंचायत	875.00 मी0	722.00 मी0
	(स) वन भूमि	825.00 मी0	937.00 मी0
5	सिंचित भूमि	–	–
6	असिंचित भूमि	2000.00 मी0	2400.00 मी0
7	जिला परिषद का पैदल मार्ग	–	–
8	सूर्य प्रकाशित भूमि	2.00 कि0 मी0	2.40 कि0मी0
9	भूस्खलन भूमि	–	100 मी0
10	वन सम्पदा	बांझ (कम मात्रा में)	बांझ (अधिक मात्रा)
11	भूमि	मिट्टी,बोल्डर व कठोर चट्टान	मिट्टी,बोल्डर व कठोर चट्टान
12	मार्ग का ढाल	सामान्यतः 1:20f, 1:20R 1:24F, 1:40F	सामान्यतः 1:18f, 1:20f 1:24f, 1:40f, 1:24R
13	अनुप्रस्थ ढाल	–	–
	(अ) सामान्य ढाल	सामान्य	सामान्य

JE

AE

	(ब) तीव्र ढाल	1:20	1:18
14	मजदूर	कार्य सम्पादन में बाहरी मजदूरों का सहयोग लिया जा सकता है।	कार्य सम्पादन में बाहरी मजदूरों का सहयोग लिया जा सकता है।
15	पानी की निकासी		
	(अ) बड़े पुल	—	—
	(ब) छोटे पुल	—	—
	(स) छोटी पुलिया	16 स्कपर	20 स्कपर
16	लभान्वित ग्राम	आलयू	आलयू
17	प्रस्तावित मोटर मार्ग से संबंध	परखाल–डुंग्री मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से।	परखाल–डुंग्री मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से।
18	कृषि एवं फल उपयोग की दृष्टि से मार्ग का उपयोग	संतरा, चौलाई,आदि ।	संतरा, चौलाई,आदि
19	वन सम्पदा का उपयोग	सड़क निर्माण से क्षेत्र की जनता को परिवहन की सुविधा होगी ।	सड़क निर्माण से क्षेत्र की जनता को परिवहन की सुविधा होगी।
20	खनिज एवं अन्य सम्पदा का उपयोग	— तदैव —	— तदैव —
21	लाभ/हानि	सुदूरवर्ति एवं पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा मार्ग के निर्माण से समय तथा धन की बचत होगी।	सुदूरवर्ति एवं पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा मार्ग के निर्माण से समय तथा धन की बचत होगी।
22	अनुमानित लागत	रू0 103.60 लाख	रू0 124.32 लाख
23	पत्थर	अधिकतर भाग में मिट्टी/पत्थर हैं।	अधिकतर भाग में मिट्टी/पत्थर हैं।
24	वर्षा एवं जलवायु	सामान्य से अधिक वर्षा,मौसम नम व ठण्डा ।	सामान्य से अधिक वर्षा,मौसम नम व ठण्डा ।
25	एच0पी बैण्ड	4 नं0	5 नं0

प्रस्तावित समरेखण नं0 1 के विषय मे उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मार्ग निर्माण से उक्त ग्रामवासियों के साथ सुदूरवर्ती पिछडे क्षेत्र की अन्य जनता को भी यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी, तथा क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक स्तर उंचा होगा। अतएव प्रस्तावित समरेखण नं0 1 को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

कनिष्ठ ~~सहायक~~ अभियन्ता
लो0नि0वि0
थराली।

सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि०
थराली

अधिशासी अभियन्ता
लो0नि0वि0
थराली।